न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–108/2011–12

राज्य बनाम लक्ष्मी पासवान

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील अपीलार्थी लक्ष्मी पासवान द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1201, दिनांक 17.09.2011 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति 200/2007 को रद्द किये जाने तथा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सौर बाजार के अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने सम्बन्धी पारित निदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

30.8.15

अपीलार्थी के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 05.05.2011 को अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दूकान की जाँच की गयी। अपराह्न 12.30 बजे दूकान खुली पायी गयी, परन्तु श्री पासवान अनुपस्थित पाये गये। सूचना पट्ट पर किसी प्रकार की सूचना अंकित नहीं थी, जिससे यह जाना जा सके कि दूकान में कितनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है तथा श्री पासवान की अनुपस्थिति का कारण भी अंकित नहीं थी। भंडार पट्ट पर अंकित सूचना के अनुसार भंडार में कम किरासन तेल तथा खाद्यान्न पाया गया। उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न एवं तेल की आपूर्त्ति की जाती है तथा कीमत अधिक लिया जाता है। जाँच दल के द्वारा यह अनुभव किया गया कि श्री पासवान जाँच के समय घर पर ही उपस्थित थे। जाँच दल के पहुँचने पर श्री पासवान छुप गये। जाँच के समय रामपुर टोला एवं वार्ड नं0 11 के उपभोक्ताओं ने लिखित बयान दिया कि विक्रेता द्वारा बी0पी0एल0 कार्डधारकों को 13 किलो चावल तथा 9 किलो अनाज दिया जाता है, जबकि 15 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूँ देने का प्रावधान है। मूल्य के रूप में 91 रूपया के विरूद्ध 100 रू0 लिया जाता है। भंडार में 5 ड्रम किरासन तेल उपलब्ध था, जिसकी अनुमानित मात्रा 1000 लीटर होता है, जबकि सूचना पट्ट पर अवशेष तेल की मात्रा 1980 लीटर थी। भंडार में 190X50=9500 किलो चावल पाया गया, जबकि सूचना के अनुसार चावल की मात्रा 100 क्विंटल, 81 किलो ग्राम दिखलाया गया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत थी कि श्री पासवान का उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी सहुरिया पश्चिम ग्राम पंचायत में वर्ष, 1992 से डीलर के रूप में कार्यरत हैं तथा सदैव निर्धारित मात्रा में नियत कीमत पर उपभोक्ताओं के बीच सामग्रियों का वितरण करते चले आ रहे हैं और कभी किसी उपभोक्ता ने उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की है। दिनांक 05.05.2011 को अपीलार्थी ने दूकान खोलकर 12.00 बजे तक खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया तथा तदोपरांत चावल की आवंटन की सूचना पर सौर बाजार चले गये और इसी बीच उनकी अनुपस्थिति में जाँच दल पहुँच गयी। सूचना पट्ट पर ओपनिंग बैलेन्स दर्ज पाया गया तथा दूकान बन्द होने पर उस दिन की बिक्री दूसरे दिन घटाकर सूचना पट्ट पर लिखा जाता। जाँच के बाद ज्ञापांक 647, दिनांक 14.05.2011 द्वारा अपीलार्थी से कारणपृच्छा की माँग की गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सौर बाजार ने प्रतिवेदित किया है कि दूकान से सम्बन्धित पंजियाँ निदेश के बावजूद जाँच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के आदेश के अनुपालन में कारणपृच्छा के साथ सभी पंजियाँ जमा कर दी गयी। पंजियों के साथ कारणपृच्छा जमा करने के उपरान्त पुनः ज्ञापांक 1104, दिनांक 25.08.2011 द्वारा अपीलार्थी से कारणपृच्छा की माँग की गयी कि उनकी अनुज्ञप्ति क्यों नहीं रद्द कर दी जाय। इसके अनुपालन में 09.09.2011 को अपीलार्थी ने कारण पृच्छा जमा किया, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1201, दिनांक 17.09.2011 द्वारा अपीलार्थी को अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है।

30.8.15

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल बतलाया है। अग्रतर अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अनुज्ञप्ति के किसी भी शर्त एवं ई0सी0 एक्ट की धारा–3 का कहीं भी उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है।

अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि प्रमंडलीय जाँच टीम द्वारा जाँच में जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अनियमिततायें मिली है और अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता से कारणपृच्छा प्राप्त कर कारणपृच्छा/साक्ष्य अपर्याप्त पाकर आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

20.8.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

20.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1402-2/विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.09.017